TaxcodeIN | www.taxcode.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 04/2023-एकीकृत कर

सा.का.नि. 710(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 14 के उपनियम (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 14क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, बेंगलुरू पश्चिम और उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को, भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति का उपबंध करने या उपबंध किए जाने के लिए सहमति प्रदान करने के मामले में, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए सशक्त अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" का वही अर्थ होगा, जो उसका केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80ख) में है ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 04/2023 – Integrated Tax

G.S.R. 710(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 and sub-section (2) of section 14A of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with sub-rule (2) of rule 14 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby notifies the Principal Commissioner of Central Tax, Bengaluru West and all the officers subordinate to him as the officers empowered to grant registration in case of supply of online money gaming provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory and received by a person in India.

Explanation.-For the purposes of this notification, "online money gaming" shall have the same meaning as assigned to it in clause (80B) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

TaxcodeIN | www.taxcode.in